

न्यायालय—मधुसूदन जंघेल,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

दाण्डिक प्र0क0—1003 / 2014

संस्थित दिनांक—30.10.2014

F.N.-234503008962014

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी  
केन्द्र गढ़ी जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....अभियोजन

**!! विरुद्ध !!**

रुमलाल सोनवाने पिता सुखराम सोनवाने,  
उम्र—39 वर्ष, जाति यादव निवासी ग्राम परसामउ  
थाना गढ़ी जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....आरोपी

**!! निर्णय !!**

( आज दिनांक 27 / 06 / 2018 को घोषित किया गया )

01. उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 27.08.2014 को समय 7:00 बजे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम डुडवा में फरियादी के खेत से फरियादी बलसिंह के आधिपत्य का मोनो ब्लाक पंप 0.75 एच.पी.सी.एच.डी. नंबर 119314 को बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से फरियादी के आधिपत्य से हटाकर चोरी करने, इस प्रकार धारा—379 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि फरियादी बलसिंह ग्राम डुडवा में रहकर खेती का कार्य करते थे। सिंचाई के लिए उन्होंने 0.75 एच.पी. मोना ब्लाक पंप 8,000 /— रुपये का लेकर अपने खेत के कुएं में लगाया था। फरियादी ने दिनांक 27.08.2014 को 4:00 बजे खेत के कुएं में पंप को लगाया था। अगले दिन दिनांक 28.08.2014 को सुबह 7:00 बजे जब फरियादी अपने खेत गया तो कुएं में पंप नहीं था। अज्ञात चोर पंप को चोरी कर ले गया था। फरियादी ने खेत के आस-पास के लोगों से पूछताछ किया

// 2 //

F.N.-234503008962014

और पंप की तलाश किया। पंप के नहीं मिलने पर थाना गढ़ी में घटना की रिपोर्ट किया, जिससे थाना गढ़ी के अपराध क्रमांक 73/14 अंतर्गत धारा-379 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। घटनास्थल का नक्शा-मौका तैयार किया गया, साक्षियों का कथन लेखबद्ध किया गया, आरोपी का मेमोरेन्डम कथन लेखबद्ध किया गया एवं मेमोरेन्डम के आधार पर आरोपी से मोनो ब्लाक पंप जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 द0प्र0स0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है कि—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 27.08.2014 को समय 7:00 बजे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम डुडवा में फरियादी के खेत से फरियादी बलसिंह के आधिपत्य का मोनो ब्लाक पंप 0.75 एच.पी.सी.एच.डी. नंबर 119314 को बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से फरियादी के आधिपत्य से हटाकर चोरी किया ?

**:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01**

06. बलसिंह अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2013-14 में आठवें माह में 27 तारीख की है। उसने ग्राम डुडवा स्थित खेत के कुएं में सिंचाई करने के लिए मोटर पंप एच.पी. कंपनी का लगाया था। घटना के अगले दिन जब कुएं में जाकर देखा तो उसका मोटर पंप वहाँ पर नहीं था। आस-पास पता करने पर उसे पंप का पता नहीं चला,

तब उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 की थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। उसने पुलिस को मोटर पंप खरीदने की रसीद प्र.पी.03 दिया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने कुएं से मोटर पंप चोरी होना बताया है, जिसे प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

**07.** चैनसिंह अ.सा.07 ने बताया है कि दिनांक 21.09.2014 को फरियादी बलसिंह थाना गढ़ी उपस्थित होकर चोरी की मौखिक शिकायत की थी, तब उसने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 73/14 धारा 379 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने मन से लेखबद्ध किया था। इस प्रकार फरियादी द्वारा कराये गये प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य का समर्थन प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक द्वारा भी किया गया है।

**08.** राजकुमा अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना दिनांक 27.08.2014 की है। उन्होंने ग्राम डुडवा स्थित खेत में सिंचाई के लिए कुएं पर मोटर पंप लगाया था। घटना के अगले दिन उसके पिता जी ने जाकर देखा तो मोटर पंप नहीं था। आस-पास तलाश करने पर पंप का पता नहीं चला था, तो उन्होंने घटना की रिपोर्ट थाना गढ़ी में किया था। पुलिस ने उसका बयान लेखबद्ध किया था। इस प्रकार इस साक्षी ने भी चोरी की घटना का समर्थन किया है। साक्षी धन्नुलाल अ.सा.03 ने भी बताया है कि करीब दो वर्ष पूर्व उसके चाचा बलसिंह के खेत के कुएं से पंप चोरी हो गया था। साक्षी राजू बंजारा अ.सा.04 ने भी बताया है कि लगभग दो वर्ष पूर्व उनके खेत के कुएं में लगा मोटर पंप चोरी हो गया था। विवेचक अशोक चौधरी ने बताया है कि थाना गढ़ी के अपराध क्रमांक 73/14 धारा 379 भा.द.वि. की विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। फरियादी बलसिंह, गवाह राजकुमार, धन्नुलाल, राजू बंजारा का कथन लेखबद्ध किया था

तथा उक्त साक्षियों ने भी न्यायालय में पुलिस को चोरी के संबंध में कथन देना बताये हैं। इस प्रकार फरियादी बलसिंह एवं साक्षियों के कथन तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से फरियादी बलसिंह के खेत के कुएं से उसका मोटर पंप चोरी होने की घटना प्रमाणित है।

**09.** अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या घटनास्थल पर किसी साक्षी ने आरोपी को मोटर पंप चोरी करते हुए देखा है। बलसिंह अ.सा.01 ने बताया है कि उसे बाद में पता चला कि रूमलाल ने मोटर पंप चुराया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को मोटर पंप चोरी करते हुए नहीं देखा था। राजकुमार अ.सा.02 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को मोटर पंप चोरी करते हुए नहीं देखा। धन्नुलाल अ.सा.03 ने बताया है कि चोरी किसने की है उसे जानकारी नहीं है। राजू बंजारा अ.सा.04 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को चोरी करते हुए नहीं देखा। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक चैनसिंह अ.सा.07 ने बताया है कि उसने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। इस प्रकार प्रकरण में आरोपी को मौके पर चोरी करते हुए देखे जाने के संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

**10.** अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपी द्वारा दिये गये मेमोरेन्डम के आधार पर आरोपी से फरियादी की चुराई गई संपत्ति मोटर पंप जप्त किया गया था। अशोक चौधरी अ.सा.06 ने यह बताया है कि थाना गढ़ी के अपराध क्रमांक 73/14 धारा-379 भा.द.वि. की विवेचना के दौरान दिनांक 10.12.2014 को उसने आरोपी का मेमोरेन्डम प्र.पी.04 लेखबद्ध किया था, जिसमें आरोपी ने बलसिंह के कुएं का मोनो ब्लॉक पंप अपने कोठे में ले जाकर रखना बताया था। गोपालदास अ.सा.05 ने बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी रूमलाल का मेमोरेन्डम कथन लेखबद्ध नहीं किया था।

पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी ने प्र.पी.04 के मेमोरेन्डम में खेत का पंप अपने घर के कोठे में छिपाकर रखना बताया था। यद्यपि मेमोरेन्डम के साक्षी गोपालदास ने मेमोरेन्डम कथन का समर्थन नहीं किया है, किन्तु विवेचक अशोक चौधरी ने इससे इंकार किया है कि उसने आरोपी का प्र.पी.04 का मेमोरेन्डम झूठा तैयार किया था।

11. अशोक चौधरी अ.सा.06 ने बताया है कि दिनांक 10.10.2014 को आरोपी का मेमोरेन्डम लेखबद्ध किये जाने के बाद उक्त दिनांक को आरोपी रूमलाल द्वारा ग्राम परसामउ स्थित अपने निवास के मकान के कोठे से निकालकर पेश करने पर उसने मोटर पंप गवाह जयपाल एवं गोपालदास टांडिया के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने जप्ती का झूठा कार्यवाही किया था। जबकि जप्ती के स्वतंत्र साक्षी गोपालदास ने भी बताया है कि आरोपी रूमलाल द्वारा परसामउ स्थित अपने मकान के कोठे से निकालकर पेश करने पर पुलिस ने एच.पी. कंपनी का पंप जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 बनाया था और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने बताया है कि उसने प्र.पी.04 से लगायत प्र.पी.06 के दस्तावेजों पर थाने में हस्ताक्षर किया था। इस साक्षी ने इससे इंकार किया है कि पुलिस ने किस संबंध में हस्ताक्षर करवाये थे वह नहीं बता सकता। स्वतः बताया है कि वह पुलिस के साथ आरोपी के घर गया था। इस प्रकार जप्ती के इस स्वतंत्र साक्षी ने आरोपी से चुराई हुई संपत्ति मोटर पंप जप्त करने की घटना का समर्थन किया है। इस प्रकार विवेचक अशोक चौधरी के प्रतिपरीक्षण तथा साक्षी गोपालदास के प्रतिपरीक्षण में जप्ती की घटना का खंडन नहीं हुआ है एवं उक्त दोनों साक्षियों के कथन से आरोपी से चुराया हुआ मोटर पंप जप्त



होना प्रमाणित है।

12. इस प्रकार प्रकरण में फरियादी बलसिंह अ.सा.01 एवं साक्षी राजकुमार अ.सा.02, धन्नुलाल अ.सा.03 एवं राजू अ.सा.04 ने आरोपी को चोरी करते हुए देखने के बारे में नहीं बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 भी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध में पंजीबद्ध की गई है, किन्तु प्रकरण के विवेचक अशोक चौधरी अ.सा.06 तथा जप्ती के स्वतंत्र साक्षी गोपालदास अ.सा.05 के कथन से आरोपी से चोरीशुदा मोटर पंप जप्त होना प्रमाणित है। धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार इस बात की उपधारणा की जाती है कि चुराये हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है, जब-तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके या तो वह चोर है या उसने माल चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया। ऐसे में इस प्रकरण में इस बात की उपधारणा की जायेगी कि आरोपी या तो चोर है या चुराई हुई संपत्ति जानते हुए उसने मोटर पंप प्राप्त किया था, किन्तु प्रकरण में आरोपी ने बचाव में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उसने किसी अन्य व्यक्ति से मोटर पंप चुराई हुई संपत्ति जानते हुए प्राप्त किया था। ऐसे में चोरी गया मोटर पंप आरोपी द्वारा ही चोरी किये जाने की उपधारणा की जावेगी। फलतः आरोपी द्वारा मोटर पंप कीमती 8,000/- रुपये फरियादी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। फलतः आरोपी को धारा-379 भा.दं.वि. के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। फलतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट

//7//

F.N.-234503008962014

पुनःश्च

13. दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2014 से लंबित है तथा लगभग प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर आरोपी उपस्थित होते रहा है। आरोपी अपने परिवार का एकमात्र काम करने वाला सदस्य है। अतः आरोपी के दण्ड के प्रति नरम रुख अपनाये जाने का निवेदन किया है। अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. ने आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है। उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुनने एवं प्रकरण के अवलोकन से भी प्रकट है कि वर्ष 2014 से लंबित है। आरोपी भी प्रायः प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर उपस्थित होता रहा है। फलतः आपराध की प्रकृति एवं उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अनु.क.	नाम आरोपी	धारा	जेल की सजा	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम
01	रुमलाल सोनवाने पिता सुखराम सोनवाने	379 भा.दं.वि.	एक वर्ष का सश्रम कारावास	500/— रुपये	15 दिवस सश्रम कारावास

14. आरोपी के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र भारमुक्त किया जाता है। आरोपी जमानत पर है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर सजा भुगताने हेतु जेल भेजा जावे।

15. आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 10.10.2014 से दिनांक 17.10.2014

तक निरुद्ध रहा है।

**16.** प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मोटर पंप मोनो ब्लाका पंप आवेदक बलसिंह पिता दुधा बंजारा निवासी ग्राम डुडवा तहसील बैहर की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में सुपुर्दगीदार के पक्ष में उन्मोचित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही/—

(मधुसूदन जंघेल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

सही/—

(मधुसूदन जंघेल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.